16-1-2020 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पैरोकार राज उप.। वकीलान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दि 22-10-18 को एक प्रा.पत्र 136 LR Act के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोजेरा के खसरा नं. 65 की 4-90 है. व खसरा नं. 179 की 2.80 हैक्टेयर, खसरा नं. 235/2 की 8-83 है, खसरा नं. 246/75 की 1.60 है, खसरा नं. 247/77 की 3-20 है, खसरा नं. 251/78 की 1-73 है, खसरा नं. 365/40 की 0-72 है तथा खसरा नं. 383/178 की 1-00 है. कुल 8 खसरों की 24-78 हैक्टेयर बारानी भूमि जो जमाबन्दी सं. 2073-2076 के केवट कलोनी नं. 27 में जगदीश, केसराराम, विमला पुत्र पुत्रियां हेराजराम जाति जाट व रेहू कालेडा के नाम दर्ज है जबकि जगदीश, केसराराम विमला पुत्र पुत्रियां अवकाश होना चाहिये की दुकानी करने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थी टीटू को नोटिस किया गया जिस पर अप्रार्थी टीटू द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 1-7-19 को जबकि प्रस्तुत कर नाम दुकानी करने की अनुशंसा की गई अतः तहसीलदार बीकानेर की अनुशंसा के आधार पर ग्राम भोजेरा की जमाबन्दी सं. 2073-2076 के कलोनी नं. 27 में अंकित जगदीश, केसराराम विमला पुत्र पुत्रियां हेराजराम जाति जाट व रेहू के स्थान पर जगदीश, केसराराम विमला पुत्र पुत्रियां अवकाश की दुरुस्ती करते हुए शेष अंकन यथावत के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार बीकानेर तदनुसार अमल दरामद करने की कार्यवाही करें आदेश की प्रति तहसीलदार बीकानेर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम करते हुए दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 16:43:46 IST
Reason: SelfAttested